अनुदान संख्या 2 - कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
GRANT No. 2 - DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	9934,59,00	10152,53,00	10030,40,52	-122,12,48
पूरक	Supplementary	217,94,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				65,22,30
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		6,50,00	3,15,18	-3,34,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				56,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹12212.48 लाख) दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹21794.00 लाख के पूरक अनुदान का 56 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹12212.48 lakhs) constituted 56 percent of the supplementary grants of ₹21794.00 lakhs obtained in December, 2024 and March, 2025 and 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “3451”	Major Head “3451”				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएँ	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	4398.00	2452.00	2293.62	-158.38
पु.	R.	-1946.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2415"	Major Head "2415"				
कृषि अनुसंधान और शिक्षा	Agricultural Research and Education				
मू.	O.	930322.00			
पू.	S.	19990.00	1006278.70	1000746.90	-5531.80
पु.	R.	55966.70			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	58739.00			
पू.	S.	1804.00	..	..	..
पु.	R.	-60543.00			

(I) ₹60543.00 लाख का प्रावधान (₹1804.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) नौ शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹60043.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(का) "फसल कृषिकर्म – आईसीएआर को सहायता" –

(क) "फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं" – ₹8500.00 लाख;

(ख) "बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं" – ₹2000.00 लाख;

(ग) "कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं" – ₹4500.00 लाख;

(घ) "कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं" – ₹3214.00 लाख (₹1804.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(I) Provision of ₹60543.00 lakhs (including supplementary grant of ₹1804.00 lakhs) remained wholly unutilized under nine heads; of these ₹60043.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Crop Husbandry - Assistance to I.C.A.R." -

(a) "Crop Science Institutes, Research and Education Schemes" - ₹8500.00 lakhs;

(b) "Horticulture Institutes, Research and Education Schemes" - ₹2000.00 lakhs;

(c) "Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes" - ₹4500.00 lakhs;

(d) "Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes" - ₹3214.00 lakhs (including supplementary grant of ₹1804.00 lakh);

(खा) "मृदा एवं जल संरक्षण – आईसीएआर को सहायता– अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, कृषि–वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाओं सहित अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएं" – ₹5700.00 लाख;

(गा) "पशुपालन – आईसीएआर को सहायता – पशु विज्ञान संस्थान, डेयरी अनुसंधान संस्थानों और योजनाओं सहित अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं" – ₹4200.00 लाख;

(घा) "मत्स्य पालन – आईसीएआर को सहायता – मत्स्य पालन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजना" – ₹1000.00 लाख; और

(ङ) "सामान्य (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएं) – केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सामान्य अनुदान सहायता" – ₹30929.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

(II) मुख्य शीर्ष "2415" – "फसल कृषिकर्म – आईसीएआर को सहायता – कृषि सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन सहित आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन" के अंतर्गत ₹637870.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹200.00 लाख के पूरक अनुदान द्वारा बढ़ाकर ₹638070.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹1154.82 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3451" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "सचिवालय – कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग"– ₹954.23 लाख की बचत (₹1611.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान

(B) "Soil and Water Conservation - Assistance to I.C.A.R - Other Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro - Forestry Research and Education Schemes" - ₹5700.00 lakhs;

(C) "Animal Husbandry - Assistance to I.C.A.R.- Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes and Schemes" - ₹4200.00 lakhs;

(D) "Fisheries - Assistance to I.C.A.R. - Fisheries Institutes, Research and Education Scheme" - ₹1000.00 lakhs; and

(E) "General (Agricultural Research & Education Schemes) - Grants-in-aid-General to Central Agricultural University, Imphal" - ₹30929.00 lakhs.

Provisions under above eight heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2415" - "Crop Husbandry - Assistance to I.C.A.R. - I.C.A.R. Headquarter Administration Including Directorate of Information and Publication in Agriculture, Intellectual Property Rights Management" - the original provision of ₹637870.00 lakhs was augmented to ₹638070.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹200.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1154.82 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts.

(III) Under Major Head "3451" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Secretariat - Department of Agricultural Research and Education" - saving of ₹954.23 lakhs

की तुलना में) हुई; और

(खा) "संबद्ध कार्यालय – कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड" – ₹1150.15 लाख की बचत (₹2787.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरने, सिविल कार्यों के लिए कम निधियां की आवश्यकता होने, कम एलटीसी और चिकित्सा दावों की प्राप्ति, कम प्रकाशन, कम पेशेवरों की भर्ती, कम दौरे और कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किए जाने के कारण हुईं।

(IV) मुख्य शीर्ष "2415" – "सामान्य – अन्य संस्थानों को सहायता – केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को अनुदान सहायता" के अंतर्गत ₹1932.08 लाख की बचत (₹25826.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनटीए द्वारा स्क्रीनिंग टेस्ट में देरी होने की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी न होने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें (₹4313.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि मुख्य शीर्ष "2415" – "फसल कृषिकर्म – आईसीएआर को सहायता – कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएँ" के अंतर्गत ₹21794.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3846.42 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2415" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(का) "फसल कृषिकर्म – आईसीएआर को सहायता" –

(क) "फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएं" – ₹4937.43 लाख का अधिक व्यय (₹74494.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान, परिचालन और अन्य प्रशासनिक व्ययों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से

(against the sanctioned provision of ₹1611.00 lakhs); and

(B) "Attached Offices - Agricultural Scientists Recruitment Board" - saving of ₹1150.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2787.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards civil works, receipt of less LTC and medical claims, less publication, hiring of less professionals, less tours undertaken and conduction of less training programmes.

(IV) Under Major Head "2415" - "General - Assistance to other Institutions - Grants-in-Aid to Central Agricultural University, Bihar" - saving of ₹1932.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25826.00 lakhs) was due to non-completion of appointment process owing to delayed screening test by NTA.

2.(I) The above savings were partly (₹4313.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹21794.00 lakhs under Major Head "2415" - "Crop Husbandry - Assistance to I.C.A.R - Agricultural Education Institutes, Research & Education Schemes". Actual excess, however, was ₹3846.42 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2415" - under the following heads:-

(A) "Crop Husbandry - Assistance to I.C.A.R" -

(a) "Crop Science Institutes, Research & Education Schemes" - excess of ₹4937.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹74494.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards research, operational and other administrative

संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

expenses and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ख) "कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएं" – ₹4905.12 लाख का अधिक व्यय (₹12331.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय भवन, वैज्ञानिक और कार्यालय उपकरण, फर्नीचर, अनुसंधान, परिचालन और अन्य प्रशासनिक व्ययों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(b) "Agricultural Extension Institutes, Research & Education Schemes" - excess of ₹4905.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12331.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards office buildings, scientific and office equipment, furniture, research, operational and other administrative expenses and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ग) "बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं" – ₹1424.19 लाख का अधिक व्यय (₹21457.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(c) "Horticulture Institutes, Research and Education Schemes" - excess of ₹1424.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21457.00 lakhs);

(खा) "मृदा एवं जल संरक्षण – आईसीएआर को सहायता – अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, कृषि–वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाओं सहित अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएं" – ₹5281.64 लाख का अधिक व्यय (₹16466.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(B) "Soil and Water Conservation - Assistance to I.C.A.R. - Other Natural Resource Management Institutes, Research & Education Schemes including Agro-Forestry Research & Education Schemes" - excess of ₹5281.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16466.00 lakhs);

(गा) "पशुपालन – आईसीएआर को सहायता – पशु विज्ञान संस्थान, डेयरी अनुसंधान संस्थानों और योजनाओं सहित अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं" – ₹2987.36 लाख का अधिक व्यय (₹32765.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(C) "Animal Husbandry - Assistance to I.C.A.R.- Animal Science Institutes, Research and Education Schemes Including Dairy Research Institutes & Schemes" - excess of ₹2987.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32765.00 lakhs);

(घा) "मत्स्य पालन – आईसीएआर को सहायता – मत्स्य पालन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं" – ₹984.98 लाख का अधिक व्यय (₹16557.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(D) "Fisheries - Assistance to I.C.A.R. - Fisheries Institutes, Research and Education Schemes" - excess of ₹984.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16557.00 lakhs); and

(ङ) “सामान्य – अन्य संस्थानों को सहायता – केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सहायता अनुदान” – ₹29014.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, एक शीर्ष के अंतर्गत ₹328.77 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 53 प्रतिशत थी।

(E) “General - Assistance to other Institutions - Grants-in-Aid to Central Agricultural University, Imphal” - excess of ₹29014.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above five heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, saving of ₹328.77 lakhs occurred under one head and constituted 53 percent of the sanctioned provision.